INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

भारतीय ट्रांसजेंडर की बदलती सामाजिक स्थिति

(The Changing Social status of Indian Transgenders)

अंकित कुमार
शोधार्थी,
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, राजस्थान, भारत

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/06.2021-13516588/IRJHISMC210501

सारांश :

भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा तबका निवास करता है। अनेकों धर्म, जातियाँ व भाषाओं के लोग मानवता का परिचय देते है लेकिन ट्रांसजेंडर(भारतीय संवैधानिक नाम) के साथ मानवता नहीं दिखाते। ट्रांसजेंडर को धरती के बाहर से आया हुआ कोई जीव मान लिया जाता है या फिर उनको एक इन्सान के रूप में नही समझा जाता है। भारत में ट्रांसजेंडर समाज को बुरी सामाजिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए भारत सरकार द्वारा काफी बड़े बड़े कदम उठाये गये जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल 2019 बिल के आने के बाद ट्रांसजेंडर का समाज में उत्थान हुआ है। पहले की तुलना में आजकल समाज भेद भाव की भावना का त्याग कर रहा है व साथ ही साथ समाज में ट्रांसजेंडर को एक आम इन्सान के रूप में भी देखा जाने लगा है। कुछ समय से ट्रांसजेंडर संघो द्वारा आवाज उठाये जाने के कारण कुछ सरकारी योजनायें चलाई गई है जिनमें पहचान सम्बंधित दस्तावेज, जीवन यापन भत्ता व सुरक्षा जैसी जरूरतें पूरा होनी शुरू हुई है। भारतीय समाज में हुए बदलावों के कारण आज ट्रांसजेंडर समाज को कम समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है ये समस्याएँ समय के साथ और भी दूर हो जायेंगी।

मूल शब्द : *भारतीय ट्रांसजेंडर, समाज, स्थिति, पहचान*

प्रस्तावना :

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांसमेन (परा–पुरुष) और ट्रांस–विमेन (परा–स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। इसमें सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर, हिंजड़ा, भी शामिल हैं। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसम्स या हारमोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक भारत में अनुमानित 6-5मिलियन भारत में रहते हैं। ट्रांसजेंडर अक्सर अपने स्वयं के समुदायों में एक यहूदी बस्ती की तरह रहते हैं, जिसे घराना कहा जाता है। शारीरिक और मनोविज्ञानिक रूप से अंग में विकृति होने के कारण लोग उन्हें शैतान बोल देते है जिससे की मौखिक रूप से यौन दुर्वयवहार होता है अगर प्राचीन काल से लेकर अब तक के काल को देखा जाए तो

ट्रांसजेंडर समाज के हर इन्सान का इतिहास मानव सेवा का ही रहा है। अगर हम बात करें पौराणिक कहानियों की तो स्वयं नारद मुनि कहते है की इनपर किसी को न ही हाथ उठाना चाहिए व न ही ऊँचे स्वर में बात करनी चाहिए । राजा महाराजा के दरबार में संगीत दरबार से लेकर राणियों की सुरक्षा तक का कार्य केवल ट्रांसजेंडर द्वारा किया जाता रहा है लेकिन फिर भी आज के इन्सान को समझाना पड़ रहा है कि ट्रांसजेंडर भी इन्सान है। ट्रांसजेंडर जन्म के समारोहों में नाचते–गाते और जश्न मनाकर जीवन यापन करते है। अब यह समुदाय राष्ट्रीय मुख्यधारा में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। भारतीय ट्रांसजेंडर में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और अंतःस्रावी स्थितियां और प्रकार शामिल हैं। हिंदी शब्द हिजड़ा का अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों की विशाल विविधता बाहरी लोगों के लिए भ्रम पैदा करती है। यूनुस, ट्रांसवेस्टाइट्स, समलैंगिकों, उभयलिंगियों, हेर्मैफ्रोडाइट्स और ट्रांससेक्सुअल समुदाय का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। उन्हें अन्तर्विभाजित, क्षीण, नपुंसक, ट्रांसजेंडर जाति, पुतली या यौन रूप से विषम या दुष्क्रियाशील भी कहा जाता है। ट्रांसजेंडर की सामाजिक स्थिति बदल रही है व साथ ही साथ रोजगार की अलग अलग संभावनाओं में होते बदलावों ने सामाजिक स्थिति में बदलाव किया है। यह हो रहा बदलाव देश को एक नई दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। जानकारों की अगर माने तो यह भी कहना गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति विश्वास करने योग्य है तो केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही है। इससे यह साफ हो जाता है की सामज में ट्रांसजेंडर की सामाजिक स्थिति बदल रही है।

अध्ययन की आवश्यकता :

हर व्यक्ति को अपना हर एक दिन कीमती लगता है वैसे ही भारतीय ट्रांसजेंडर के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। समाज की गलत व छोटी हरकतों व सोच की वजह से ट्रांसजेंडर समुदाय को इन्सान नही समझा जाता है। किसी प्रकार की पहचान नही होने की वजह से सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व घर जैसी आम सुविधाओं का हक नही मिलता है जिसकी वजह से शोषण का शिकार होते रहते है। ट्रांसजेंडर की इस प्रकार की समस्या व हालात को सबके सामने लाने के लिए इस विषय पर अध्ययन करना जरुरी हो जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्राथमिक तौर पर इस अध्ययन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। ट्रांसजेंडर की समस्या पूर्ण विश्व के सामने लाकर इस समस्या का सदा के लिए निवारण करना ही मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तावित अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न है –

- सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्या का अध्ययन व इसके निवारण के लिए प्रष्ठभूमि तैयार करना।
- रोजमर्रा की जिन्दगी में ट्रांसजेंडर के सामने आने वाली समस्या का अध्ययन करना।
- ट्रांसजेंडर की स्थिति ठीक कैसे हो व कैसे समाज में इनका उत्थान किया जा सकता है, पर अध्ययन करना।
- ट्रांसजेंडर को सरकारी व गैर–सरकारी सभी प्रकार की योजनाओ का कितना लाभ मिल रहा है व अलग से क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए पर अध्ययन करना।

ट्रांसजेंडर अधिकार रक्षा विधेयक :

इस विधेयक का निर्माण केंद्र व राज्य सरकार ने 2016 में ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है। इस विधेयक के लागू होने के कारण भारत से सभी ट्रांसजेंडरों को हर प्रकार से समानता का अधिकार मिलेगा व साथ ही साथ समाज में उतनी ही इज्जत के साथ देखा जाएगा जितना की अन्य मनुष्यों को देखा जाता है। इस विधेयक से होने वाले लाभ निम्न है –

- ट्रांसजेंडर को यह नहीं बताना होगा की वह स्त्री या पुरूष, या महिला और पुरुष का संयोजन, या ना स्त्री ना पुरुष है। वह केवल अपने लिंग श्रेणी में ट्रांसजेंडर या तीसरा लिंग का चुनाव करेगा।
- किसी भी ट्रांसजेंडर को भीख मांगे पर मजबूर करना, यौन शोषण करना, सावर्जनिक स्थान पर जाने से रोकना य उसके उपर नसलभेदी बातें बोलना आदि जैसे बुरे कृत्य करने पर 2साल का कारावास देने का प्रावधान है।
- इस विधेयक में ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे वह किसी भी प्रकार का सरकारी काम य पहचान से सम्बंधित प्रमाणित होने कार्य कर पाएंगे।
- केंद्र और राज्य सरकारें इस विधेयक में कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करती है जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल आदि व एक ट्रांसजेंडर के खिलाफ भेदभाव की मंशा को प्रतिबंधित करता है।

पहचान संकट से बचाव हेतु कदम :

विषय अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर किये गये अध्ययन से पता चलता है कि किस प्रकार से ट्रांसजेंडर के पहचान संकट को दूर किया जा सकता है या फिर ऐसे कोनसे विधेयक है जिनके बारे में सारी जानकारी साझा की जाए ताकि ज्ञान के अभाव में परेशान नहीं होना पड़े –

- सावर्जनिक रूप से ट्रांसजेंडर ने नागरिकता पाने हेतु संघर्ष करना शुरू कर दिया। सरकारी पहचान पत्र भी बनाये जा रहे है लेकिन एक बड़ी संख्या में इस योजना के बारे में ट्रांसजेंडर नही जानते है।
- सरकार की योजनाओं में वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा व उत्तम अधिकार है, इस अधिकार की वजह से ट्रांसजेंडर को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी आम सुविधाएं आसानी से मिलने लगी है व इसी प्रकार से तीसरे लिंग के रूप में पहचान मिली है।
- कुछ राज्य सरकारों ने तो ट्रांसजेंडरों के उत्थान हेतु व्यापार करने हेतु ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान बना चुकी है जिसकी वजह से हजारों की संख्या में ट्रांसजेंडर अपना व्यापार चला रहे है व रोजगार कमा रहे है। तमिलनाडु राज्य की सरकार इसके लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है।
- अगस्त 2008 में कुछ गैर सरकारी संगठन व ट्रांसजेंडर संगठनो ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई, जिसका मुख्य उद्देश्य हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना व समस्याओं का निवारण करवाना था।

निष्कर्ष :

शोध अध्ययन में चर्चाओं के दौर में समझा जा सकता है कि पहले की तुलना में ट्रांसजेंडर की स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गये है जिसमें काफी सारे बदलाव लाना अतिआवश्यक है। इन्सान होकर एक इन्सान को

इन्सान ही नहीं समझना खुद को इन्सान समझने की भूल है। अधिकार संरक्षण विधेयक द्वारा ट्रांसजेंडर के अधिकार सुरक्षित हो रहे है जिनको समाज समझ रहा है। ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है लेकिन समाज की व्यवस्था जुड़ने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं के आगे आने के कारण समाज सोचने पर मजबूर हुआ है। ट्रांसजेंडर के जीवन को आगे बढाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा चुके है लेकिन और भी कदम बढ़ाना बाकी है। फ्री शिक्षा, नौकरी में आरक्षण व छूट, बिना ब्याज या कम ब्याज के लोन व रोजगार हेतु प्रशिक्षण देकर ट्रांसजेंडर की सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. जोर्जिया, एम., एवं गेराल्डाइन, एम., ए कुआलटेटीव एक्स्प्लोरिसन ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी अफ्फिरमेशन एट द पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड सोशिओकल्चरल लेवल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रांसजेंडरिजम, 2013य145-140:(3)14
2. चेट्टियार, ए., ए प्रॉब्लम फेसड बाय हिज्राज (मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर्स) इन मुंबई विद रेफरेंस टू द हेल्थ एंड हरेस्मेंट बाय द पुलिस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस हयुमनिटी, 2015य759-752:(9)5
3. त्रिशा, एम., एकुलिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2013य5-4:(49)48
4. अनुविन्द, पी., एवं तिरुची, पी., नो कंट्री फॉर ट्रांसजेंडर्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2016य 21-19:(37)51
5. अंजू, ए., थर्ड जेंडर एंड द क्राइसिस ऑफ सिटीजनशिप, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2016य (2)51
6. सम्पादकीय, द थर्ड सेक्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2013य9:(43)48
7. त्रिशा, एम., एकुलिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2013य5-4:(49)48
8. कालरा, ग., हिजडाः द यूनिक ट्रांसजेंडर कल्चर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कल्चर एंड मेंटल हेल्थ, 2012य5(2)121– 126
9. रायनेर, ज., द थर्ड सेक्स द व्हेन ए बेबी इस नॉट ए बॉय नॉर ए गर्ल , द आब्जर्वर लाइफ मैगजीन, 1998
10. नारायण, स., इन ए ट्वाईलाईट वर्ल्ड, फ्रंटलाइन – द हिन्दू ग्रुप, 2003य20(21)रू11–24
11. सिदानुज, ज., एवं प्रत्टो, फ., एन इंटरग्रुप थ्योरी ऑफ सोशल इएअर्च्य एंड ओप्पेर्सअन, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999
12. नंदा, स., हिजडा एंड साधिन, कंसट्रकटिंग सेक्सुअलिटिज, पेरासन एजुकेशन, 2003
13. ट्राविक, म., नोट्स ऑफ लव इन ए तमिल फॅमिली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1990
14. चक्रपाणी, व., हिजडाः ट्रांसजेंडर वुमन इन इंडियारू एचआईवी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्सक्लूशन, रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2010